समाहरणालय, सिवान
(जिला पंचायत राज कार्यालय)

पत्रांक– /पंचायत, सिवान दिनांक–

सेवा में,

1 राज कुमार रजक, (मेधा क्रमांक–291)

2 विनोद कुमार, (मेधा क्रमांक–121)

3 नेहा केशरी, (मेधा क्रमांक–69)

4 ज्ञानेन्द्र कुमार, (मेधा क्रमांक–133)

विषय :– **नियुक्ति पत्र के आधार पर योगदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सिवान जिला में निर्धारित तिथि को सम्पन्न काउन्सिलिंग तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर संविदा के आधार पर आपका नियोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन कर लिया गया हैं :–

1 संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकारनामा किया जाएगा।

2 चयनित कर्मी को नियमानुसार हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।

3 जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकरी का निर्णय अंतिम होगा।

4 इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।

5 इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निधारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को 20000/- रूपये प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। मानदेय का भुगतान सरकार द्वारा प्राप्त आंवटन के आलोक में उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

6 मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण को कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7 मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

8 लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के निम्नवत् दायित्व होगें :–

(I) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित करना।

(II) अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित करना।

(III) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।

(IV) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधन विवरणी तैयार कराना ।

(V) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(VI) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(VII) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(VIII) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।

9 अगर आप उपरोक्त शर्तों से सहमत हो तो अपना योगदान दिनांक 09.07.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक जिला पंचायत राज कार्यालय, सिवान में देना सुनिश्चित करें। योगदान के समय चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा पहचान हेतु वोटर आई0 डी0 या आधार कार्ड (छायाप्रति सहित) साथ लायें।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक– 815-II /पंचायत, सिवान दिनांक– 06/7/20

प्रतिलिपि :– सभी सम्बंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश को जिला के Website पर Upload कर दिया जाय।

06.7.20
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान।